

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्र.पत्र/91/2015

दर्ज दिनांक:-06.11.2015

1. भावना पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजकुमारी पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

हरिदत्त शर्मा

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-30.01.18

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं मूलदावा अपालना में खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी अप्रार्थीगण की तलवी न कराने पर 0-9.R-5CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 02.11.2015 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर